



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 24.01.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह 20 दिन का कारावास एवं कुल 2500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 436/2020 धारा 457,380,411,413,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल चौहान पुत्र छेदी चौहान निवासी बघवानाला हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 23.01.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-01 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विशाल चौहान उपरोक्त को अंतर्गत धारा 457,380,411,413,414 भा0द0वि0 मे दोषसिद्ध पाते हुए कुल 01 वर्ष 06 माह 20 दिन के कारावास एवं कुल 2500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।